[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii)]

Government of India
Ministry of Corporate Affairs

ORDER

New Delhi, the 29th March, 2016.

S.O. __ (E). – Whereas the Companies Act, 2013 (18 of 2013) (hereinafter referred to as the said Act) received the assent of the President on 29th August, 2013 and section 1 thereof came into force on the same date;

And, whereas, the provisions contained in section 143 of the said Act which provides for powers and duties of auditors and auditing standards has come into force on the 1st April, 2014;

And, whereas, sub-section (11) of section 143 of the said Act provides that the Central Government may, in consultation with the National Financial Reporting Authority, by general or special order, direct, in respect of such class or description of companies, as may be specified in the order, that the auditor's report shall also include a statement on such matters as may be specified therein;

And, whereas, section 132 of the said Act, which provides for constitution, functions etc., of the National Financial Reporting Authority and the National Financial Reporting Appellate Authority, has not been brought into force and it may take some time to bring said section into force;

And, whereas, the National Advisory Committee on Accounting Standards, constituted under section 210A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) provides for advising the Central Government on the formulation and laying down of accounting policies and accounting standards for adoption by companies or class of companies;

And, whereas, sub-section (4A) of section 227 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), which corresponds to sub-section (11) of section 143 of the Companies Act, 2013, (18 of 2013) provides that the Central Government may consult the Institute of Chartered Accountants of India constituted under the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949), while issuing order directing that in case of specified class or description of companies the auditor's report shall include a statement on additional matters as specified in the order;

And, whereas, the Central Government constituted a Committee chaired by the Joint Secretary or Regional Director, Ministry of Corporate Affairs and representatives from the Institute of Chartered Accountants of India and Industry Chambers and National Advisory Committee on Accounting Standards, Chairman and representative from the Office of the Comptroller and Auditor-General, as special invitees to hold consultation required under sub-section (11) of section 143 of the Companies Act, 2013;

And, whereas, the Central Government, on the basis of recommendations of the said Committee, has issued the Companies (Auditor's Report) Order, 2015 on 10th April, 2015 for financial year 2015-16 vide notification number S.O.990 (E) dated the 10th April, 2015 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) and proposes to issue similar Order to be applicable from the financial year 2015-16 onwards;

And, whereas, difficulties have arisen regarding compliance with the provisions of sub-section (11) of section 143, in so far as they relate to consultation with National Financial Reporting Authority till the period it is duly constituted under section 132 of the Companies Act, 2013;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 470 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following Order to remove the above said difficulties, namely:-

1. **Short title and commencement.-** (1) This Order may be called the Companies Removal of Difficulties) Order, 2016.

(2) It shall be deemed to have come into force from the 10th April, 2015.

2. In the Companies Act, 2013, in section 143, in sub-section (ii), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that until the National Financial Reporting Authority is constituted under section 132, the Central Government may hold consultation required under this sub-section with the Committee chaired by an officer of the rank of Joint Secretary or equivalent in the Ministry of Corporate Affairs and the Committee shall have the representatives from the Institute of Chartered Accountants of India and Industry Chambers and also special invitees from the National Advisory Committee on Accounting Standards and the office of the Comptroller and Auditor-General".

[F. No. 17/45/2015-CL-V]

29/03/2016

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 29/3/2016

का.आ. (अ.) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) को 29 अगस्त, 2013 को राष्ट्रपति की सम्मति प्राप्त हुई थी और उसकी धारा 1 उसी तारीख से प्रवृत्त हुई;

और, उक्त अधिनियम की धारा 143 जिसमें लेखापरीक्षकों के अधिकारों और कर्त्तव्यों तथा लेखा मानकों का उपबंध है, 01 अप्रैल, 2014 से प्रवृत्त हुई;

और, उक्त अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) में यह उपबंध है कि केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण से परामर्श करके, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, आदेश में यथाविनिर्दिष्ट कंपनियों की ऐसी श्रेणी अथवा ब्यौरों के संबंध में निदेश दे सकेगी कि लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में उक्त आदेश में यथाविनिर्दिष्ट ऐसे मामलों पर एक विवरण भी शामिल होगा;

और, उक्त अधिनियम की धारा 132, जिसमें राष्ट्रीय वित्तीय प्राधिकरण और राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग अपील प्राधिकरण के गठन, कार्यों आदि का उपबंध है, अभी प्रवृत्त नहीं किया गया है और उक्त धारा के प्रवृत्त होने में कुछ समय लग सकता है;

और, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 210क के अधीन गठित लेखा मानकों संबंधी राष्ट्रीय परामर्शदात्री समिति द्वारा कंपनियों अथवा कंपनियों की श्रेणी द्वारा अपनाए जाने हेतु लेखा नीतियां और लेखा मानक तैयार और स्थापित करने पर केन्द्रीय सरकार को परामर्श देने का उपबंध करती है;

और, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 227 की उपधारा (4क), जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 143 की उपधारा (11) की तत्स्थानी है, में यह उपबंध है कि केन्द्रीय सरकार, द्वारा कंपनियों की विनिर्दिष्ट श्रेणी अथवा ब्यौरों के मामले में लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में उक्त आदेश में यथाविनिर्दिष्ट मामलों पर विवरण शामिल करने का निदेश देने वाला आदेश जारी करते समय चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के अधीन गठित भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान ,से परामर्श कर सकती है;

और, केन्द्रीय सरकार ने, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा (11) के अधीन अपेक्षित परामर्श हेतु संयुक्त सचिव अथवा प्रादेशिक निदेशक, कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जिसमें भारतीट चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान और उद्योग मंडलों तथा लेखा मानकों

संबंधी राष्ट्रीय परामर्शदात्री समिति के प्रतिनिधि शामिल थे और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय के प्रतिनिधि विशेष आमंत्रिति थे;

और, केन्द्रीय सरकार ने, उक्त समिति की सिफारिशों के आधार पर अधिसूचना संख्या का.आ.990(अ) तारीख 10 अप्रैल, 2015 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए 10 अप्रैल, 2015 को कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2015 जारी किया है जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-3, उपखंड (ii) में प्रकाशित किया गया था और वित्तीय वर्ष 2015-16 से लागू होने हेतु वैसा ही आदेश जारी करने का प्रस्ताव है;

और, धारा 143 की उपधारा (11) के उपबंधों के अनुपालन में उस सीमा तक कठिनाई उत्पन्न हुई है जहां तक उसका संबंध कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132 के अधीन उसे विहित रूप से गठित किए जाने तक की अवधि में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण से परामर्श करने से है;

अब, इसलिए केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 470 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त कठिनाइयों को दूर करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती हैं, अर्थात् -

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम कंपनी (कठिनाइयां दूर करना) आदेश, 2016 है।

(2) यह आदेश 10 अप्रैल, 2015 से लागू हुआ माना जाएगा।

2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा (ii) में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

"परंतु यह कि केन्द्रीय सरकार, धारा 132 के अधीन राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण गठित होने तक कारपोरेट कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव अथवा समतुल्य स्तर के किसी अधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति के साथ इस उपधारा के अधीन अपेक्षित परामर्श कर सकती है और उक्त समिति ने भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान तथा उद्योग मंडलों के प्रतिनिधि होंगे तथा लेखामानकों संबंधी राष्ट्रीय परामर्शदात्री समिति एवं नियंत्रक-महापरीक्षक के कार्यालय से विशेष आमंत्रित सदस्य भी होंगे।"

[फा.सं.17/45/2015-सीएल-V]

अमरदीप
29/02/2016

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव